



मां नरी सैमरी कृपा

1. भूमि का प्रकार – कृषि भूमि
2. मौहल्ला / ग्राम...मौजा आटस बांगर तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकवा 0.100 हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
5. पेडों का मूल्यांकन....नहीं
6. बोरिंग / कुआ / अन्य.. नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि.. 1950000 /-रूपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत 1950000 /-रूपये
9. अदा किये जाने वाला स्टाम्प : 136500 /रूपये का ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट नंबर आई एन यू पी 69885218118699 एक्स दिनांक-28.1.2025 जो सर्टिफिकेट इस प्रलेख के साथ संलग्न किया जा रहा है।
10. सरकारी दर भूमि 13000000 /-रूपये प्रति हैक्टेयर आबादी के निकट होने के कारण निर्धारित दर का डेढ़ गुने यानि 19500000 /-रूपये प्रति हैक्टेयर पर स्टाम्प देय है जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं० 25 कमांक 4 कोड नंबर-1038 पर दर्ज है। कार्यक्षेत्र उ०नि० मथुरा -प्रथम

मन मोहन गौतम

कुलशुष्ण



(2)

विक्रेता प्रथमपक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

मनमोहन गौतम पुत्र श्री दाऊजी गौतम निवासी सैकिण्ड फ्लोर प्लाट नंबर-2, बृजधाम कालौनी, चेतन्य विहार वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा बहैसियत मुख्तारआम अपनी पत्नी श्रीमती नेहा गौतम पत्नी श्री मनमोहन गौतम निवासी सैकिण्ड फ्लोर प्लाट नंबर-2, बृजधाम कालौनी, चैतन्य विहार वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा बजरिये मुख्तारनामा आम दिनांक-28.1.2019 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर-4 जिल्द 161 के सफा 213/222 नंबर-25 पर हुआ जो मुख्तारनामा आम कायम है निष्पादित कर्ता जीवित है, का हूं।

पेन-बी ई पी पी जी 5789 जी मो0 9897808214

क्रेता का विवरण

माध्यम लेण्ड बेस प्रा0लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय 67, कोटेज एन्क्लेव ए-4, पश्चिम विहार नई दिल्ली, दिल्ली-110063 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि कुलभूषण वाष्णीय पुत्र श्री वेदपाल गुप्ता निवासी सुरीर विजऊ तहसील मांट जिला मथुरा क्रेता द्वितीयपक्ष पेन-ए ए के सी एन 2443 जी मो0 9758211111

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर-00185 व खसरा नंबर-979 रकवा 1.279 हैक्टेयर में हिस्सा रकवा 0.286 हैक्टेयर सम्पूर्ण अंश बाकै मौजा आटस बांगर तहसील व जिला मथुरा मिलिकयत विक्रेता प्रथमपक्ष की है जिसको प्रथमपक्ष ने बजरिये बैनामा दिनांक-23.4.2021 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर-1 जिल्द 16572 के सफा 133 से 144 नंबर-7521 पर हुआ गुलजारी लाल गौतम से खरीदी और सरकारी कागजात माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। जिस पर विक्रेता प्रथमपक्ष का कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है जिसमें सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के बैनामा करने में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी

मनमोहन गौतम



कुलभूषण



(3)

भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिलिक्यत विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रूपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी । और मुझ कुलमूषण वार्षिक को माध्यम लेण्ड बेस प्रा०लि० के अधिकृत प्रतिनिधि की हैसियत से उक्त आराजी क्रय करने बैनामा पंजीकृत कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त है । अतः उक्त आराजी रकवा 0.286 हैक्टेयर में से रकवा 0.100 हैक्टेयर को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 1950000/-उन्नीस लाख पचास हजार रूपये में वहक क्रेता माध्यम लेण्ड बेस प्रा०लि० रजिस्टर्ड कार्यालय 67, कोटेज एन्क्लेव ए-4, पश्चिम विहार नई दिल्ली, दिल्ली-110063 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि कुलमूषण वार्षिक पुत्र श्री वेदपाल गुप्ता निवासी सुरीर विजऊ तहसील मांट जिला मथुरा क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का कुल रूपया खरीदार द्वितीयपक्ष से मूल विक्रेती ने :-

1950000/-रूपये आर०टी०जी०एस० यू टी आर नंबर-आई सी आई सी आर 42025012800538564 दिनांक-28.1.2025 द्वारा पाये

इस प्रकार कीमत का कुल रूपया प्राप्त कर बेची गई उक्त आराजी पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार द्वितीयपक्ष बेची गई आराजी रकवा 0.100 हैक्टेयर का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार द्वितीयपक्ष समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा । यदि बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार

मन्मोहन शीतम

कुलमूषण




(4)

का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब विक्रेता प्रथमपक्ष के जिम्मे हैं और खरीदार द्वितीयपक्ष वह सब विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों व उसकी चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्च के बसूल करलें इसमें विक्रेता प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की नहीं होगी। आराजी एक फसला है बिक्रित कृषि भूमि पर कृषि कार्य अनवरत रूप से चल रहा है वर्तमान में भी खेती हो रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है। बेचे जाने वाली आराजी को संलग्न नक्शे में स्पष्ट रूप से रंग लाल से दर्शायी गयी है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषि कार्य हो रहा है। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार झापट किया गया है।

उक्त मुख्तारनामा आम द्वारा मुझ मनमोहन गौतम को अपनी पत्नी श्रीमती नेहा गौतम की ओर से उक्त आराजी बेचने व बैनामा पंजीकृत कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त है।

मनमोहन गौतम

उत्तराखण्ड



(5)

लिहाजा यह वैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

मनमोहन गौतम



गुलशरण



विक्रम अग्रवाल एडवोकेट
मथुरा

दिनांक-28.1.2025

टाईप किया : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा
ड्राफ्ट किया : विक्रम अग्रवाल एडवोकेट मथुरा

साक्षी नबर-1 संजीव कुमार पुत्र श्री कुमारलाल
निवासी नारायणपुर जैत तहसील व जिला मथुरा




संजीव कुमार

साक्षी नबर-2 नितिन पुत्र श्री विजय
निवासी सौंख रोड, मथुरा



नितिन



आवेदन सं०: 202500764005665

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 19948 के पृष्ठ 23 से 36 तक क्रमांक 2202 पर दिनांक 29/01/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



पंकज सक्सेना प्र०

उप निबंधक : सदर प्रथम

मथुरा

29/01/2025

प्रिंट करें



